न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, गोण्डा ।

उपस्थित–सूर्य प्रकाश सिंह, {एच0जे0एस0}.....यू0पी0 6272

दाण्डिक निगरानी सं0–118 / 2026

CNR No. UPGD01001470-2026

राधा देवी उम्र करीब 27 साल पत्नी श्री रामप्रसाद निवासी ग्राम जलालपुर रेतवागाड़ा थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा।

––––निगरानीकर्त्री

बनाम

श्री जोगेन्द्र उर्फ क्षब्बू उम्र करीब 29 साल पुत्र स्व0 छोटकऊ निवासी ग्राम जलालपुर रेतवागाड़ा थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा।

–––विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी धारा–438 / 440 बी.एन.एस.एस के तहत विचारण न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) / एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा द्वारा परिवाद सं0–225 / 2022 राधा देवी प्रति जोगेन्द्र उर्फ झब्बू में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 27.01.2026 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके माध्यम से निगरानीकर्त्री का परिवाद निरस्त किया गया है।

निगरानीकर्त्री द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित करके वैधानिकतः व तथ्यतः त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान न देकर कि पीड़िता को स्थानीय थाना से भी न्याय नहीं मिला है, फिर भी परिवाद को खारिज करने में वैधानिकतः व तथ्यतः त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गलत एवं उपेक्षापूर्ण परिशीलन करके आदेश पारित करने में वैधानिकता व तथ्यतः त्रुटि की है। विचारण न्यायालय चश्मदीद साक्षी स्वयं परिवादिनी की सगी सासु पर विश्वास न करके आदेश पारित में वैधानिकतः व तथ्यतः त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी ध्यान न देकर कि महिला अपनी अस्मिता एवं चरित्र हनन के विरूद्ध सभी तथ्यों पर खुलकर न बोलने पर शर्म व झिझक महमूस करती है। फिर भी आलोच्य आदेश पारित कर वैधानिकतः व तथ्यतः त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रत्येक प्रकार से गलत विधि व नियम के प्रतिकूल, नैसर्गिक न्याय के विपरीत एवं बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित

किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकर्त्री की निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.01.2026 को निरस्त करने की याचना की गयी है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.01.2026 का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित–27.01.2026 यह कहते हुये पारित किया गया कि'' पत्रावली के अवलोकन से विदिता होता है कि परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में यह स्पष्ट किया है कि मेरी तबियत ठीक नहीं था तो मैंने झब्बू उर्फ जोगिन्दर को दवा लाने के लिए बोला उसने मुझे दवा लाकर दी उसमें पता नहीं ऐसा क्या था कि मैं उसके वश में आ गयी। जोगिन्दर ने दो महीने तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। सिर दर्द और बुखार की दवाई थी। मैं दवाई का नाम नहीं बता सकती। मुझे दो महीने तक होश नहीं था। जोगिन्दर मुझसे कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब घर वालों को पता चल गया तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी के .द्वारा दी गयी दवाई का इतने लंबे समय तक उसका उपभोग नहीं करेगा और न ही ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दो महीने तक बेहोश ही हो सकता है, यदि कोई भी व्यक्ति दो महीने के लिए बेहोश रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा प्राथमिक उपचार कराया जायेगा, परन्तु उक्त .घटना कारित किये जाने के संबंध में परिवादिनी की ओर से कोई भी मेडिकल प्रपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे संपूर्ण घटना में बल मिल सके।

वादिनी ने अपने परिवाद पत्र में यह स्पष्ट रुप से कहा है कि प्रार्थिनी के पति के छोटे भाई ने प्रार्थिनी व विपक्षी को रात्रि करीब 11:00 बजे छत पर नग्न अवस्था में देखा, परन्तु वादिनी द्वारा बयान में चश्मदीद गवाहों को छोड़कर पराग देवी व अपने पति का बयान कराया है, जिसमें पति ने स्वयं कहा है कि उसे घटना की जानकारी उसे भाई द्वारा फोन पर दी गयी, जिसने घटना को स्पष्ट रुप से देखा है उसका बयान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे सम्पूर्ण घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि प्रस्तुत प्रकरण विपक्षी को प्रथम दृष्टया तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। परिवाद संख्या–225/2022 राधा देवी बनाम जोगेन्द्र उर्फ झब्बू निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल–दफ्तर हो।''

उपरोक्त आदेश दिनांकित–27.01.2026 के विरूद्ध आवेदिका राधा देवी के द्वारा निगरानी दाखिल की गयी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में परिवाद पत्र का अवलोकन किया जाय तो परिवाद पत्र निगरानीकर्त्री द्वारा यह कहते हुए दिया गया कि प्रार्थिनी का विवाह सन् 2011 में श्री राम प्रसाद यादव पुत्र स्व० श्री हुसैनी प्रसाद निवासी–जलालपुर रेतवागाड़ा, जनपद–गोण्डा में हुआ और सन् 2018 में प्रार्थिनी का गौना आया तभी से प्रार्थिनी अपने पति के साथ रहकर अपना दाम्पत्य जीवन निर्वाह करती रही। प्रार्थिनी के पति जो कि आयुर्वेद की दवाईयों की सप्लाई करते हैं और उनका कार्य अन्य जगहों व अन्य शहरों में सप्लाई करने का कार्य था, जिस सिलसिलें में वह अक्सर घर से बाहर रहते थे। प्रार्थिनी के ससुराल (जलालपुर रेतवागाड़ा) में जोगेन्द्र उर्फ झब्बू पुत्र श्री छोटकऊ रहता था, उसकी शादी हो चुकी थी गौना नहीं आया था, चूंकि विपक्षी व प्रार्थिनी एक ही गांव के थे और एक ही जाति के थे तथा घर भी अगल–बगल था, इस कारण से विपक्षी का प्रार्थिनी के घर भी आना जाना था। प्रार्थिनी का उसके ससुराल वालों को भी जब कोई जरूरत हो, तो वे प्रार्थिनी के पति के न रहने पर विपक्षी को ही बुलाते थे, इस कारण से विपक्षी प्रार्थिनी के घर आता और प्रार्थिनी को भी भाभी भाभी कहकर बाते आदि करता रहता था तथा अक्सर रात में भी फोन करके बातें करता, हाल चाल लेता। प्रार्थिनी को जब भी कोई सामान आदि मंगाना होता था तो वह भी झब्बू विपक्षी से ही मंगाती थी, झब्बू विपक्षी अक्सर प्रार्थिनी से कहा करता था कि प्रार्थिनी अपने पति को छोड़ दे और उसके साथ शादी कर ले, लेकिन प्रार्थिनी इस बात को गांव–जंवार का लड़का (देवर) समझकर इग्नोर कर दिया करती। एक दिन प्रार्थिनी की तबियत खराब हुई तो प्रार्थिनी ने अपनी बूढी सास से कहा कि अम्मा आज कुछ तबियत ठीक नहीं लग रही है दवाई किससे मंगाये इस पर अम्मा ने झब्बू विपक्षी को बुलाकर दवाई लाने को भेजा, दवाई विपक्षी लेकर आया और एक खुराक निकालकर दी, और बाकी कैसे खाना है बताया। इस प्रकार से विपक्षी प्रार्थिनी को जब भी उसकी तबियत खराब हुई, दवाई लाकर देता और खिलाता भी, विपक्षी द्वारा दी गयी दवाई से

प्रार्थिनी अपने होशो–हवास में नहीं रहती, जिसका नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी प्रार्थिनी से शारीरिक सम्बन्ध बनाने लगा और प्रार्थिनी को झांसा देकर विगत दो माह से प्रार्थिनी से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किया और कहा कि वह अपने पति को छोड दे, और उससे शादी कर ले, तथा धमकी भी दिया करता था कि उक्त शारीरिक सम्बन्ध के बावत् किसी को कुछ बताया तो तुम्हें बदनाम कर देंगे और तुम्हें व तुम्हारें पति को भी मार डालूंगा। प्रार्थिनी डर वश जैसा विपक्षी कहता करती रही, और एक दिन दिनांक 09.06.2021 को प्रार्थिनी के पति के छोटे भाई ने प्रार्थिनी व विपक्षी (झब्बू) को रात्रि करीब 11:00 बजे छत पर नग्न अवस्था में देखा, जिससे प्रार्थिनी डर गयी और विपक्षी से कहा कि अब में क्या करू, तुमने तो मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी। लेकिन विपक्षी झब्बू ने प्रार्थिनी को बताया कि सुबह मैं सब ठीक कर दूंगा और भागकर अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह प्रार्थिनी के सगे देवर ने प्रार्थिनी के पति व अपने बड़े भाई को फोन पर सूचना दी, जिस पर प्रार्थिनी के पति श्री रामप्रसाद सूचना पाते ही फौरन अपने गांव पहुँचे और अपने सास–ससुर को भी बुलाया तथा प्रार्थिनी की सारी हकीकत जैसा कि उसे प्रार्थिनी ने बताया से अवगत कराया। जिस पर प्रार्थिनी के माता–पिता ने कहा कि मैंने तो अपनी बेटी तुमको सौंप दी, यह अब तुम्हारी पत्नी है तुम जैसा चाहो वैसा करो। प्रार्थिनी के माता–पिता ने प्रार्थिनी के पति से कहा कि हम लोगों से कोई मतलब नहीं है तुम जैसा चाहो करो। मर्जी हो पुलिस बुलाओ हम लोग जा रहे है और चले गये, तब प्रार्थिनी के पति ने 112 नम्बर पर फोन करके पुलिस बुलाया और सारी बातें पुलिस को बतायी, जिस पर पुलिस ने प्रार्थिनी व उसके पति को थाने पर बुलाया जब प्रार्थिनी अपने पति के साथ थाने पर पहुँची तो वहां पर पुलिस ने विपक्षी को पहले से बैठा रखा था, और प्रार्थिनी व उसके पति से थाना धानेपुर की पुलिस ने कहा कि तुम लोगों का मामला गंभीर है इसका निस्तारण पुलिस अधीक्षक साहब, गोण्डा बुलाया होगा। तुम लोग वहीं जाओ प्रार्थिनी अपने पति के साथ दिनांक–10.06.2021 को एस०पी० गोण्डा के पहां पहुँची लेकिन मुलाकात नहीं हो पायी। प्रार्थिनी फिर थाने पर पहुँची तो पता चला कि विपक्षी झब्बू को पुलिक ने छोड़ दिया, क्योंकि विपक्षी जबरदस्त सरकस व राजनैतिक रसूख का है, पुलिस ने भी प्रार्थिनी व उसके पति पर दबाव बनाया कि ले–देकर मामला रफा–दफा करो, इसमें कुछ होने बोला नहीं है। चूंकि विपक्षी (झब्बू) पैसे वाला और अय्याश किस्म का जबरदस्त राजनैतिक रसूख का व्यक्ति है तथा गांव जवान भी उसकी अय्याशी के चर्चे है, यहां तक

की वह गांव में भी कई बार नाबालिग लड़कियों को छेड़ते हुए देखा गया है। जिसके गवाह गांव जंवार के व्यक्ति है। प्रार्थिनी लगभग 1 साल से पुलिस/कोतवाली धानेपुर व ऑनलाइन प्रार्थना पत्र पोर्टल व महिला आयोग आदि पर अपनी शिकायत दर्ज करवा चुकी है, लेकिन थाना धानेपुर की पुलिस न तो गम्भीरता से उक्त प्रकरण की जांच कर रही है और न ही विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा ही लिख रही है बल्कि उल्टे प्रार्थिनी व उसके पति को डरा–धमकाकर सुलह कर लेने की बात कहकर भगा देती है। प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों की छवि/इज्जत गांव जंवार में धूमिल हो रही है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी/अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर में रिपोर्ट दर्ज कर गम्भीरता से उपरोक्त प्रकरण की विवेचना करके कार्यवाही करने की आज्ञा प्रदान की जावे। जिससे प्रार्थिनी के साथ न्याय हो और प्रार्थिनी व उसके परिवार की जान–माल की सुरक्षा हो और अभियुक्त को दण्डित किया जावे।

उक्त परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादिनी ने स्वंय का बयान धारा–200 व साक्षीगण का बयान धारा–202 दं0प्र0सं0 अंकित करने के उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित–27.01.2026 के द्वारा परिवाद पत्र दं0प्र0सं0 की धारा–203 के तहत खारिज कर दिया गया।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया जाए तो परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मेरी तबियत ठीक नहीं था तो मैंने झब्बू उर्फ जोगिन्दर को दवा लाने के लिए बोला उसने मुझे दवा लाकर दी उसमें पता नहीं ऐसा क्या था कि मैं उसके वश में आ गयी। जोगिन्दर ने दो महीने तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। सिर दर्द और बुखार की दवाई थी। मैं दवाई का नाम नहीं बता सकती। मुझे दो महीने तक होश नहीं था। जोगिन्दर मुझसे कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब घर वालों को पता चल गया तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया।

यहां यह उल्लेखनीय तथ्य है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा दी गयी दवाई का इतने लंबे समय तक उसका उपभोग नहीं करेगा और न ही ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति दो महीने तक बेहोश ही हो सकता है, यदि कोई भी व्यक्ति दो महीने के लिए बेहोश रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा या उसके परिवार के द्वारा प्राथमिक उपचार कराया जायेगा, परन्तु उक्त घटना कारित किये जाने के संबंध में परिवादिनी की ओर से कोई भी मेडिकल प्रपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे

संपूर्ण घटना में बल मिल सके। परिवादिनी द्वारा चश्मदीद साक्षी का होना बताया गया है परन्तु उसके परीक्षित न करा करके अपने सास व पति को परीक्षित कराया गया है। जिसमें पति ने स्वयं कहा है कि उसे घटना की जानकारी उसके भाई द्वारा फोन पर दी गयी, जिससे घटना को स्पष्ट रूप से देखा है। उसका बयान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे सम्पूर्ण .घटना संदेहास्पद प्रतीत होने के आधार पर परिवाद पत्र निरस्त किया गया है, में कोई अनियमितता कारित नहीं की गयी है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि विद्वान विचारण न्यायालय प्रतिपादित सिद्धान्तों और परिवाद–पत्र, परिवादिनी व साक्षीगण के बयान के आधार समुचित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता, अशुद्धता और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश तर्क संगत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर सारहीन है, खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–118/2026 राधा देवी प्रति जोगेन्द्र उर्फ क्षब्बू खारिज किया जाता है। परिवाद सं0–225/2022 राधा देवी प्रति जोगेन्द्र उर्फ झब्बू थाना–धानेपुर, जिला गोण्डा में न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा द्वारा पारित आदेश दिनांकित–27.01.2026 पुष्ट किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्णय की प्रति भेजी जावे।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–12.06.2026

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–1, गोण्डा।

दिनांक–12.06.2026

Digitally signed by SURYA PRAKASH SINGH
Date: 2026.07.01 21:01:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court